न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **05/2016** अपील (राजस्व)

1. श्री देवीलाल पिता भीमा भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नन्दु पिता भीमा भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री जगदीश पिता केसु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री किशन पिता केसु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री प्रकाश पिता केसु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री मांगीलाल पिता डालु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री कन्हैयालाल पिता डालु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री सन्तु पिता डालु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री मनोहर पिता डालु भील निवासी रामपुरा– सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती खुमाणी पिता भीमा भील पत्नि जगन्नाथ भील, निवासी धड़ीचा, पंचायत सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्यारी पिता स्वर्गीय भीमा भील पत्नि धन्ना भील, निवासी रामपुरा– सीसारमा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर
बनामान्तरकरण संख्या 3506 निर्णय दिनांक 18.01.2007

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल चौरड़िया, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री चन्द्रशेखर आमेटा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण

निर्णय

दिनांकः—22.12.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि नामान्तरकरण दिनांक 18.01.2007 को खोला गया जबकि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत, सीसारमा द्वारा खोलना चाहिये था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जी का निर्णय अपने क्षेत्राधिकार के परे होने के कारण निर्णय प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावें। नामान्तरकरण खोले जाने के मामले में 45 दिन तक स्वीकृत किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है उसके बाद तहसीलदार को अधिकार प्राप्त होता हैं। अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जनजाति यानि भील गमेती है ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का स्वर्गवास होने पर उसकी लड़कियो एवं पत्नि को कोई हित एवं अधिकार कानुन में प्रदान नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त खोले गये नामान्तरकरण में रेस्पोडेंटगण का नाम कानून के खिलाफ अंकित किया गया है जिसे प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावें। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ए. आई.आर. (राजस्थान) पेज 162 में स्पष्ट निर्णय प्रतिपादित फरमाया गया है कि धारा 2 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानो के अनुसार व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का स्वर्गवास होने पर उसकी लड़कियों व पत्नि को कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है ऐसी स्थिति में खोला गया नामान्तरकरण कानून के खिलाफ विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं शून्य है जिसे प्रथम दृष्ट्या रेस्पोडेंटगण का जो नाम अंकित किया गया है उसे खारीज फरमाया जावें। अपीलान्टगण अशिक्षित ग्रामीण किसान है जिनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन कृषि हैं। इनके हितो के खिलाफ कानून के खिलाफ तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खोला गया हैं। उक्त नामान्तरकरण खोले जाने की कोई जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। ऐसी स्थिति में हाल ही में रेस्पोडेंटगण द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किये जाने का

तथ्य प्रकट करने पर पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की एंव नकल प्राप्त करके उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावें।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें नामान्तरकरण का प्रथम बार ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है जिसे अन्दर मियाद लिवाय जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का स्वर्गवास होने पर उसकी लड़कियों एवं पत्नि को कोई हित एवं अधिकार कानुन में प्रदान नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त खोले गये नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट का नाम कानुन के खिलाफ अंकित किया गया हैं। जिसे प्रथम दृष्ट्या खारीज फरमाया जावें। जब अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है तो उसकी लड़कियो व पत्नि को कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलीय नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं शुन्य हैं। जिसे प्रथम दृष्ट्या रेस्पोडेंट का जो नाम अंकित किया गया है उसे खारीज फरमाया जावें। अपनी बहस की ताईद में एआईआर 2006 राज. पेज 162 एवं डीएनजे 2014 (3) राज पेज 1050 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 3506 निर्णय दिनांक 18.01.07 का अवलोकन करने के पश्चात् हम विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट के कथनो से पूर्णतया सहमत हैं। अपीलीय नामान्तरकरण में किसी के नाम पर भूमि का हस्तान्तरण

नहीं हुआ हैं। मात्र लेहरीबाई का स्वर्गवास होने से उनके वारीसान पूर्व से ही अभिलेख में दर्ज है जिनमें लेहरीबाई का हिस्सा समावेश करते हुए उनका नाम हटाया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा जो कथन अपील में किये गये है वे कथन इस अपील में लाई नहीं होते हैं। प्रस्तुत नजीरो से भी उनको कोई बल नहीं मिलता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर